

निगम आयुक्त श्री एस0के0 सुंदरानी के निर्देश पर मतदान केन्द्रों की व्यवस्था एवं दिव्यांग वाहन प्रभारी में संलग्न कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यशाला निगम सभागार में सम्पन्न हुई

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त श्री एस0के0 सुंदरानी ने विधानसभा आम निर्वाचन 2018 के अंतर्गत मतदान केन्द्रों में दिव्यांग मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग हेतु मतदान केन्द्र तक लाने एवं निवास तक वापस छोड़ने हेतु गठित दल में आर्दश आचार संहिता के तहत कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार किया जाना है इस हेतु प्रशिक्षण की कार्यशाला में वाहन प्रभारी बीएलओ सेवाप्रदाता कर्मचारियों को प्रशिक्षण निगम मुख्य कार्यालय के सभागार में दिया गया। उक्त प्रशिक्षण 5 पालियों में विधानसभा कं. 65, 66 एवं 63 में संलग्न कर्मचारियों को दिया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रथम चरण से पांच चरण तक कुल 562 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया कर्मचारियों के द्वारा लेने आये।

जनसम्पर्क अधिकारी

जेन 02 वैशाली नगर कार्यालय अंतर्गत वार्ड में गंदगी फैलाये जाने एवं प्रतिबंधित कैरीबेग विक्रय करने वाले व्यवसायियों से 10,900 रुपये अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई।

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त श्री एस0के0 सुंदरानी के निर्देशानुसार निगम के जोन 02 कार्यालय अंतर्गत सहायक राजस्व अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, एवं जोन में पदस्थ राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के संयुक्त दल के द्वारा आज विभिन्न वार्डों में आकस्मिक निरक्षण करते हुए निगम क्षेत्र के अंतर्गत शासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबेग विक्रय करने वाले व्यापारी एवं गंदगी फलाये जाने वाले व्यवसायियों से अर्धदण्ड के रूप में 10900 रुपये की राशि वसूल कर निगम कोष में जमा कराया गया।

जनसम्पर्क अधिकारी



